

<b>परिशिष्ट-5</b>		
<b>उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</b>		
<b>प्रश्न पत्र-प्रथम</b>	<b>समय: 2 घंटे</b>	<b>अंक-150</b>
	<b>सामान्य ज्ञान</b>	
इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।		
इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।		
<b>प्रश्न पत्र-द्वितीय</b>	<b>समय: 2 घंटे</b>	<b>अंक-300</b>
	<b>विधि</b>	
इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।		
(i) विधि शास्त्र	(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	
(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण	(iv) भारतीय संविधान	
(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम	(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम	
(vii) भारतीय दंड संहिता	(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता	
(ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता	(x) संविदा विधि	
<b>उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम</b>		
<b>प्रश्न पत्र संख्या-1 सामान्य ज्ञान</b>		<b>अंक-200</b>
इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।		
<b>प्रश्न पत्र संख्या-2 भाषा :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से चार प्रश्न समाविष्ट होंगे।		
(1) अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध	- 60 अंक	
(2) अंग्रेजी में सार लेखन	- 60 अंक	
(3) हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद	- 40 अंक	
(4) अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद	- 40 अंक	
<b>प्रश्न पत्र संख्या-3 विधि-1 (मौलिक विधि) :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:-		
संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।		
50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।		
<b>प्रश्न पत्र संख्या-4 विधि-2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:-		
साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया-संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता। दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपों और वाद-बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।		
<b>प्रश्न पत्र संख्या-5 विधि-3 (दाप्तक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे:-		
भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये पर बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।		
स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाप्तक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे। जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।		
<b>6. साक्षात्कार:-</b>		
<b>साक्षात्कार 100 अंकों का होगा</b>		
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक, ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।		
<b>स्पष्टीकरण-</b> अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।		
<b>टिप्पणी-</b> (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।		
(2) किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार आयोग को है जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हों, जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहरायें।		

सचिव